

198

PLA-37
UHSDF

MF-06

एसएपीयू फाई
लोक सभा
उत्तर प्रदेश

संघ न

निदेशक,

राज्य लग्नरीय विकास अभियान,
30प्र० लखनऊ।

लग्नरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मुक्तन कार्यक्रम विभाग।

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से सामन्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-संत कबीर नगर की 02 पुनरीक्षित परियोजनाओं हेतु मूल्य वृद्धि के रूप में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-668/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/मू०वृद्धि/2015-16, दिनांक 22 मई, 2015 व पत्र संख्या-670/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/मू०वृद्धि/2015-16, दिनांक 22 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत जनपद-संत कबीर नगर की नगर निकाय-हरिहरपुर जवाहर नगर व हरिहरपुर पटेलनगर। की क्रमशः 72-72 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 60-60 आवासों की 02 पुनरीक्षित परियोजनाओं हेतु क्रमशः रु० 237.69 लाख व रु० 239.68 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति सहित, प्रशनगत परियोजना में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप संलग्न तासिका के स्तम्भ-11 में अंकित देय अन्तर की धनराशि क्रमशः रु० 63.28 लाख व रु० 76.37 लाख अर्थात् कुल रु० 139.65 लाख (रुपये एक करोड़ उन्तालिस लाख बैसठ हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-405/2015/925/09-1-15-14(75)/2015, दिनांक 31.03.2015 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी०एल००० में सरक्षित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में आहरित कर व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सही स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि लग्नरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशान्वार तथा शासन/प्रायोजनारचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
2. काव्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही काव्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।
4. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य लग्नरीय विकास अभियान द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवाटों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इड़ा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

भूमि आपा०/भूमि अल


क्रमशः.....2

Tc
10/4/15

5. उम्मीद है कि अप्रैल में जन्मानुसार धनराशि द्वारा दिए गए बजेट के अनुसार अधिक लोटों का नाम सहित पहुँच दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान अनुमति दिलाने के लिए अन्यायी व्यापारों वाले वर्करों के नाम और अनुसन्धान दिलाने के लिए भी अधिक जड़ी जायेगी। अनुमति दिलाने के लिए अधिक धनराशि का महानाल द्वारा दिए गए दशा में उक्त धनराशि को अनुबंध राजकोष ने अमा क्षयाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य लगाव विकास अधिकारी, 30परो, लखनऊ 226002 द्वारा प्रभुत्व सचिव/सचिव अधिकारी विशेष सचिव, नगरीय रोपणार एवं गरीव उन्नति बायजन विभाग के प्रतिहस्तानरोपरान्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), नहालेखाकार (लखा), 30परो, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, लिखि तथा लेखा शीर्षक, जो सूचना एक वष के भीतर अवश्य उपलब्ध कराई जाये।
8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर काये की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यव की जायेगी तथा आहरित धनराशि को डैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0पल00 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कठौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-298/दस-2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्ताव-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. परियोजना में सम्मिलित केन्द्रांश व राज्यांश एवं लाभार्थी भंश की अनुमन्यता की सामा तक व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व सूडा/इडा का होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त किलों की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में सूडा/इडा स्वयं सन्तुष्ट हो लेगे। यदि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वौकृति से अधिक धनराशि अवमुक्त की जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सूडा/इडा का होगा।
10. परियोजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में 30परो के बजट मैनुअल के प्रस्ताव-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा दिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रभाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
12. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30परो, लखनऊ आहरण की क्षमता पर अपने लेखों का निर्माण नहालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
13. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिवय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम0ओ0य० (अनुबंध) निष्पादित करने के पश्चात सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबंध (एम0ओ0य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
15. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 में विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जाना की जायेगी।
16. लेदर सेस की धनराशि का भुगतान अम विभाग से वास्तवित रूप से किया जायेगा।

कनारी.....

17. प्रश्नगत परियोजना हेतु संघर्ष के दौरान आवी विकासि व अवगति उपलब्ध होना। अधिकारी ने इस परियोजना हेतु मन्त्रवृद्धि वे दूर से कोई धनराशि संतोषकृत रहे कि उनकी जल परियोजना का अन्तर्गत विषय सम्बद्ध भव व पूरी कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
18. वार्षिकायी संत्वा को धनराशि अदमुक्त करने हो पूर्व एस0एम0जन0ए0 (सूडा) यह सुनिश्चित कर लें कि मदामुक्त परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पात्रण सम्बन्धी जिला शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून 2010 के अनुरूप हैं एवं आगणन राहित अन्य फ़िसी कारण से अन्तर धनराशि, यदि कोई हो तो उसे राज्योष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
19. परियोजना से सम्बन्धित निर्णय इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित दूड़ा को निर्देशित किया जायेगा।
20. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30.09.2015 से पूर्व आहरित कर व्यय कर ली जाय।
21. भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि को यथाशीघ्र भारत सरकार को वापस किया जाना सूडा सुनिश्चित किया जायेगा।
22. सूडा द्वारा शासनादेश सं0-मु0स0-29/69-1-14-14(62)/2013, दिनांक 05.11.2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-माप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के तहत जारी किये जा रहे हैं।


भवदीय,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-632/2015/1406
 (1)/69-1-15-68(बजट)/08टीसी, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, संत कबीर नगर।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,


 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

संतानदेश सूल्या- 63/126151/106 109-1-2015 68(बजट)१८टीरी, दिनांक 10 जुलाई 2015
का लेखनकाल।

प्रभागी तालुक नं० २

क्र०	अन्वय	नू०	समान्य	मू०	मानविक वर्ग	केन्ट्रो की	एच०पी०	परियोजना	परियोजना	उद्दीपन
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१.	संत कबीर नगर/हरिहरपुर जवाहर नगर- 72 आवास	200.10	60	166.75	154.47	-	285.23	237.69	217.75	63.28
२.	संत कबीर नगर/हरिहरपुर पटेलनगर- नगर-72 आवास	196.82	60	164.02	155.16	9.32	287.62	239.68	222.21	76.37
	योग									139.65

(रूपये एक करोड़ उन्तालिस लाख पैसठ हजार मात्र)।

l psh
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।